HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 805/2026

In

S.B. Criminal Appeal No. 3039/2024
URN: SOSA / 1547U / 2026

Govind Son Of Chetram, Aged About 34 Years, Resident Of Bhuri Ka Pura, Tan Beda Banki, Police Station Sadar, Hindaun, District Karauli. (At Present Appellant Lodged In Central Jail, Alwar, District Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nitin Jain Mr. Balveer Singh Beniwal
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

16/07/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम(अपर सैशन न्यायाधीश संख्या–1), हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राजस्थान)** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**118/2021, राजस्थान राज्य** बनाम **कारूदास व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **17.10.2024** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बारह वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को प्रकरण में अधिकतम बारह वर्ष के कारावास से दंडित किया किया गया है, उसकी अभिरक्षा अवधि पांच वर्ष से अधिक हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि सह अभियुक्त कारूदास का सजा स्थगन प्रार्थना पत्र समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में जब्ती अधिकारी द्वारा एन0डी0पी0एस0 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, प्रकरण में ऐसी कोई सुदृढ साक्ष्य अभियोजन द्वारा पेश नहीं की गई है, उनका यह भी तर्क रहा है कि अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/– रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **17.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित

किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **गोविन्द पुत्र चेतराम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/72